अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/2018/28 दिनांकः 15/01/2019

जिला रजिस्ट्रार, (जन्म–मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला समस्त

विषयः– जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण एवं प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 एवं राज्य नियम 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत समय–समय पर आवश्यक मार्गदर्शन एवं दिशा–निर्देश जारी किये जाते है, परन्तु देखने में आया है कि अधिकांश रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) द्वारा दिये गये मार्गदर्शन एवं दिशा–निर्देशों की पालना नही की जा रही है अथवा रजिस्ट्रारों द्वारा अनावश्यक स्वघोषित नियम बना दिये गये है। जिससे आमजन को जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड रहा है।

अतः आमजन को जन्म–मृत्यु पंजीकरण में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु निम्न दिशा–निर्देशानुसार जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करावें।

1. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की किसी भी प्रविष्टि में संशोधन अथवा निरस्तीकरण के समय आवेदक द्वारा पूर्व में जारी मूल जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा जारी कराई अतिरिक्त प्रतियॉ प्रस्तुत किया जाना संभव नही हो सकता तो ऐसी स्थिति में आवेदक से पाई पेपर पर एक शपथ पत्र (Undertaking) लिया जावे की पूर्व में जारी प्रमाण पत्र/उसकी प्रतियों का दुरूपयोग नही किया जावेगा। तत्पश्चात संशोधित जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावें।
2. रजिस्ट्रार द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी करते समय शिशु के माता/पिता को उपस्थित होने के पश्चात प्रमाण पत्र दिया जाता है और मृत्यु प्रमाण पत्र के समय मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु बुलाया जाता है। जोकि उचित प्रतीत नही होता है। यदि आवेदक अपरिहार्य कारणों से जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु रजिस्ट्रार कार्यालय में आने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में वह एक प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार के नाम लिखेगा की वह आने में असमर्थ होने के कारण अन्य परिचित को प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु भिजवा रहा है, तो रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित व्यक्ति के पहचान के दस्तावेज प्राप्त कर जन्म प्रमाण पत्र दे दिया जावें।
3. रजिस्ट्रार द्वारा संस्थानिक घटनाओं (जन्म–मृत्यु) के लिए भी अनुज्ञा की मांग की जाती है जोकि अनुचित है। संस्थागत घटनाओं के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता

नही है। यह घटनाऐं संस्था से नियमानुसार विलम्ब शुल्क लेने के पश्चात रजिस्ट्रार द्वारा भी पंजीकृत की जा सकती है। संस्थान से तात्पर्य राजकीय और निजी दोनों प्रकार के चिकित्सा संस्थान से है।

4. रजिस्ट्रार द्वारा जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र में ऐसे संशोधन यथा आवेदक एवं माता/पिता के मध्यनाम, सरनेम, पते आदि के लिए आमजन को चिकित्सा संस्थानों में नही भिजवाया जावे। मूल नाम में संशोधन हेतु चिकित्सा संस्थान के रिकॉर्ड में दुरस्त करवाने तथा जन्म–मृत्यु तिथि की पुष्टि करने हेतु ही चिकित्सा संस्थान में भेजा जावे। यह भी उल्लेखनीय है कि रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के लिए कोई भी परिवर्तन संशोधन करने से पूर्व यह भी आवश्यक है कि वह सभी तथ्यों/दस्तावेजों की जांच करें तथा अपनी संतुष्टि उपरान्त कार्यवाही करें।
5. आवेदक द्वारा स्वयं अथवा पुत्र/पुत्री के जन्म प्रमाण में दर्ज मध्य नाम या सरनेम के संशोधन हेतु आवेदन करने पर संबंधित व्यक्ति से गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाने हेतु कहा जाता है। यहॉ स्पष्ट किया जाता है कि गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया केवल मूल नाम में परिवर्तन के संबंध में ही अपनाई जायेगी। मध्यनाम अथवा सरनेम में संशोधन के लिए गजट नोटिफिकेशन की आवश्यकता नही है।
6. आवेदक द्वारा पूर्व में जारी जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु आवेदन करने पर रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाण पत्र में संशोधन करने के पश्चात आवेदक के मोबाईल नम्बर भी दर्ज किये जावें।
7. जन्म–मृत्यु के पंजीयन हेतु निजी चिकित्सालयों को वैब पोर्टल ''पहचान'' पर यूज़र आई. डी. देकर आवेदन करने की सुविधा प्रारम्भ की गई है, परन्तु रजिस्ट्रार द्वारा आवेदक से आवेदन की मूल प्रति (हार्ड कॉपी) की मांग की जाती है। अतः निजी चिकित्सालयों से रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार द्वारा हार्ड कॉपी नहीं मंगवाई जावे तथा ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही घटना का रजिस्ट्रेशन किया जावे।

अतः उपरोक्तानुसार अपने क्षेत्र के सभी रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार को अविलम्ब पालना हेतु आदेश जारी करे, ताकि आमजन को कठिनाई का सामना नही करना पडे।

भवदीय,

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/2018/ 28 दिनांकः- 15/1/2018

प्रतिलिपिः– जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं आयुक्त नगर निगम समस्त जिला..... को भेजकर लेख है कि सभी रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार को अविलम्ब पालना करने हेतु निर्देश जारी करने का श्रम करे।

मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव